कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1415132 दिनांक- 25-03-2015

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-03/स0प0/13-14 /टैक्स-आडिट / 3412 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 25 : मार्च,2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-44 तथा वैट नियमावली के नियम-43 में नक्शो की शुद्वता का परीक्षण एवं आई0टी0सी0आदि का सत्यता की जॉच करने के उददेश्य से टैक्स आडिट का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2013-14 टैक्स आडिट हेतु व्यापारियों के चयन के लिये मानक निर्धारित करते हुए साफट्वेयर तैयार कराया गया है।

2- टैक्स आडिट हेतु निर्धारित मानको के आधार पर ही साफ्टवेयर द्वारा दिये गये अंक (स्कोर) के आधार पर चयनित व्यापारियों के सम्बन्ध में ज्वा0कमि0(टैक्स आडिट) के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(i) सर्वप्रथम विभागीय बेवसाइट http:// comtax.up..nic..in में Departmental services में MIS Report पर उपलब्ध Officer Login For MIS Report पर क्लिक किया जायेगा।

(ii) ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने सम्भाग का चयन Drop down से किया जायेगा।

(iii) अब ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।

(iv) इसके पश्चात् Menu पर उपलब्ध Tax Audit बटन पर क्लिक किया जायेगा।

(v) लॉग इन के पश्चात सम्भाग से संबंधित खण्ड कार्यालयों की पृथक-पृथक अथवा समेकित रिपोर्ट डाउन लोड की जा सकती है।

(vi) माड्यूल में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उक्त मानको के आधार पर स्वत: ही टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(ii) में वांछित व्यापारियों का चयन होकर सूची उपलब्ध हो जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों की प्राप्त सूची में से निम्न श्रेणियों के व्यापारियों को छोड़कर शेष के सम्बन्ध में टैक्स आडिट किये जाने की अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

1- पेट्रोल पम्प संचालक व्यापारी।

2- हकदारी प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष भी चयन टैक्स आडिट हेतु हुआ है।

3- करमुक्त वस्तु की खरीद करके, करमुक्त वस्तु की बिक्री।

4- व्यापारियों के चयन में निम्न बिन्दु का भी विचारण किया जायेगा।

(i) टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-1 में यह उल्लिखित है कि जोन के रू0 05 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के समस्त व्यापारी, जोन के कारपोरेट सेल के समस्त व्यापारी, टैक्स आडिट के प्रयोजनार्थ कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा संवेदनशील घोषित वस्तुओं के व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रू0 02 करोड़ से अधिक है, एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले निर्माता इकाईयों से सम्बन्धित व्यापारी के वादों में से टैक्स आडिट हेतु चयन किया जायेगा। अत: संगत वर्ष के लिए टैक्स आडिट हेतु वादों के चयन में सामान्यतया उक्त मौद्रिक सीमा का ध्यान रखा जाय।

(ii) हकदारी प्रमाण-पत्र धारक समस्त व्यापारियों का चयन टैक्स आडिट हेतु किया जायेगा।

5- कार्य हित में यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त अवधारित प्रक्रिया के अनुसार कुल चयनित व्यापारियों का माह अप्रैल-2015 से माह नवम्बर-2015 तक 10 प्रतिशत वादो का टैक्स आडिट तथा माह दिसम्बर-2015 में 20 प्रतिशत वादों का टैक्स आडिट किया जाना सुनिश्चित करते हुए समस्त वादों का टैक्स आडिट कार्य प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर-2015 तक पूर्ण किया जाय।

6- यह भी निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों को, उनका चयन, वर्ष 2013-14 के टैक्स आडिट हेतु, किये जाने विषयक सूचना, **दिनांक 31-03-2015** से पूर्व संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से तामील कराते हुए इस संबंध में टैक्स आडिट मैनुअल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाय। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

24.3.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन प0सं0- व दिनांक :उक्त।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ प्रेषित।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार व्यापारियों का चयन कर समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश की बेवसाइट पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

24/3/15

(अरविन्द कुमार)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।